O/C

ADITYA BIRLA
HINDALCO

दिनांक : 30.08.2021

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग,
रेणुकूट, सोनभद्र, उ0प्र0

विषयः जनपद–सोनभद्र के रेणुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत में0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर कम्पनी) को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षो की लीज (21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिये) दी गयी 61.2348 हे0 वनभूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भः 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8–05/1993–एफ0सी0(पी0टी01) दिनांक 15.07.2021
2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8ए/09/यू0पी0/1149/2012/एफ0सी0/199 दिनांक 18.08.2021 ।
3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक 200/11–सी FP/UP/IND/39403/2019 दिनांक 16.07.2021 व पत्रांक 642/11–सी दिनांक 24.08.2021 ।
4. आपका पत्रांक 183/रेनुकूट/15–31 दिनांक 17.07.2021 व पत्रांक 379/रेणुकूट/15–31 दिनांक 30.07.2021, पत्रांक 447/रेनुकूट/15–31 दिनांक 06.08.2021, पत्रांक 458/रेनुकूट/15–31 दिनांक 09.08.2021 व पत्रांक 636/रेनुकूट/15–31 दिनांक 24.08.2021।
5. संस्थान के पत्र दिनांक 28.07.2021, दिनांक 02.08.2021, दिनांक 10.08.2021, 13.08.2021 व दिनांक 17.08.2021।

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें ।

उपरोक्त पत्र द्वारा आपने पॉच बिन्दुओं से संबंधित वांछित सूचना/ अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

शर्त सं0	विवरण	अनुपालन आख्या
I	The complete compliance of conditions stipulated in Ministry's Stage-II/ Final approval letter No. 8-05/ 1993-FC (Pt.) dated 23.08.2018 has to be submitted.	इस संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत अंतिम स्वीकृति आदेश सं0 8–05/1993–एफ.सी. (पी.टी) दिनांक 23.08.2018 की अनुपालन आख्या हिण्डालको संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 13.07.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है । जिसकी सूचना संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 28.08.2021 द्वारा आपके कार्यालय को उपलब्ध कराया जा चुका है। उक्त पत्र की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित अपने अवलोकनार्थ पुनः इस पत्र के साथ **संलग्नक–1** के रूप में संलग्न है ।
ii.	The State Govt. shall submit the status of the notification for declaring the area acquired for Compensatory Afforestation as RF/PF along with present status of the compensatory afforestation has to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी का कथन निम्न है। 1. कैमूर वन्य जीव प्रभाग के घोरावल रेंज के ग्राम पुरना में 38.3050 हे0 व ग्राम पेढ़ में 19.3540 हे0 कुल 57.559 हे0 गैर वनभूमि वनविभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है । उक्त के संबंध में श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर ने अपने पत्रांक 318/33–1 दिनांक 07.08.2021 द्वारा ग्राम पुरना व पेढ़ में उपलब्ध करायी गयी 57.559 हे0

Hindalco Industries Limited
P.O. Renukoot-231217, District. Sonebhadra, Uttar Pradesh, India
T: +91 5446 252077-79/254791-96 I Fax: +91 5446 252107/252427 I E: hindalco@adityabirla.com I W: www.hindalco.com
Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093
T: +91 22 6691 7000 I Fax: +91 22 6691 7001
Corporate ID No: L27020MH1958PLC011238

ADITYA BIRLA
HINDALCO

		गैर वनभूमि की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया है कि उक्त गैर वनभूमि की खतौनी प्राप्त हो गयी है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के विज्ञप्ति हेतु तरमीमी नक्शा प्राप्त करने हेतु श्रीमान जिलाधिकारी/ उप–जिलाधिकारी, सोनभद्र से अनुरोध किया गया है तरमीमी नक्शा प्राप्त होते ही भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 में विज्ञापन हेतु विज्ञप्ति आलेख शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग के पत्रांक 318 दिनांक 07.08.2021 की छायाप्रति **संलग्नक–2** के रूप में इस पत्र के साथ संलग्न है। तत्क्रम में हिण्डालको संस्थान द्वारा भी श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र से तरमीमी मानचित्र प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया है उक्त पत्र की छायाप्रति **संलग्नक–2ए** के रूप में आपके अवलोकनार्थ इस पत्र के साथ संलग्न है । 2. रेणुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के ग्राम अंजानी में 3.6758 हे0 गैर वनभूमि उपलब्ध कराया गया है जिसका वन विभाग द्वारा धारा–4 में प्रकाशन कराया जा चुका है।
iii.	Validity of lease under FCA,1980 has already expired, therefore it needs to be ascertained that violation of the Forest (Conservation) Act, 1980 has taken place or not. A report in this regard may be submitted.	इस संबंध में अवगत कराना है कि नवीनीकरण (21.06.2019 से 20.06.2029 तक) प्रस्ताव संख्या FP/UP/IND/39403/2019 एम.ओ.ई.एफ. पोर्टल में हिण्डालको संस्थान द्वारा दिनांक 15.03.2019 को लीज अवधि समाप्त होने से तीन माह पूर्व ही अपलोड कर दिया गया था। इससे टाईमलाइन की छायाप्रति **संलग्नक–3** के रूप में संलग्न है ।
iv.	Reasons/justification for seeking renewal of forest diversion lease after every 10 years under Forest (Conservation) Act, 1980 need submission.	इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रथम आवंटित लीज की अवधि 10 वर्ष की थी इसलिये उसी के अनुसार नवीनीकरण किया जा रहा है । यद्यपि संस्थान द्वारा दूसरे नवीनीकरण की अवधि 25 वर्ष किया गया था परन्तु नोडल अधिकारी, लखनऊ द्वारा की गयी आपत्ति के कारण लीज अवधि पुनः 10 वर्ष कर दिया गया था।
v.	Vital details regarding the capacity of the Ash Disposal Yard and timeline for utilization of the same up to the brim need submission.	- ऐश डाइक की कुल क्षमता – 150 लाख मीट्रिक टन । - वर्तमान स्थिति में ऐश डाइक पूरी भरी हुई है इसमें से पुराने राख को सीमेन्ट उद्योगों को भेजा जा रहा है तथा रिक्त स्थान पर नया राख डाला जा रहा है । - राख उत्पादन प्रतिदिन – 3500 से 4000 मीट्रिक टन प्रतिदिन। - उक्त प्रकिया के पूर्ण होने तक प्लांट को सुचारू रूप से संचालन हेतु वर्तमान ऐश डाइक के लीज को अगले 10 वर्षो के लिये नवीनीकरण किया जाना नितांत आवश्यक है। - संस्थान द्वारा नये ऐश डाइक बनाने के लिये स्थान का चयन कर लिया गया है तथा उसमें स्थित वृक्षों की गणना भी वन विभाग द्वारा कराया जा चुका है। वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध कराने हेतु जमीन क्रय करने की प्रकिया चल रही है। समतुल्य गैर वनभूमि प्राप्त होते ही प्रस्ताव बनाकर एम.ओ.ई.एफ. के पोर्टल व वन विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

W

ADITYA BIRLA
HINDALCO

तरमीमी मानचित्र उपलब्ध कराने के संबध में आप श्रीमानजी को यह बताना चाहते है कि इस बावत संस्थान द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र से पूर्व में ही अपने पत्र दिनांक 17.08.2021 द्वारा अनुरोध किया गया है जिसकी प्रति आपको भी उपलब्ध करायी गयी है। इस संबंध में संस्थान द्वारा सतत् प्रयास किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा तरमीमी मानचित्र प्राप्त होते ही यथाशीध्र प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर तथा आप श्रीमान् जी को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

इस संबंध में श्रीमानजी को संस्थान अपने पत्र दिनांक 13.08.2021 द्वारा पहले ही सूचित किया जा चुका है कि चूँकि राजस्व विभाग द्वारा तरमीमी मानचित्र उपलब्ध होने में समय लग सकता है, अतः इस बावत प्रकरण को रोका न जाए और वस्तु स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय ।

अतः श्रीमानजी से पुनः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण की अद्यतन स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराने की कृपा करें। संस्थान आभारी रहेगा ।

सधन्यवाद,

भवदीय,
कृते हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

30/08/2021

(विवेक कुमार)
हेड–लीगल

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :–

1. डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फारेस्ट, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8–05/1993– एफ0सी0(पी0टी01) दिनांक 15.07.2021 के संदर्भ सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उप वन महानिरीक्षक (के0), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8ए/09/यू0पी0/1149/2012/एफ0सी0/199 दिनांक 18.08.2021 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र दिनांक 16.07.2021 एवं दिनांक 24.08.2021 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर का पत्रांक 318/ 33–1 दिनांक 07.08.2021 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

31/8/21

Hindalco Industries Limited
P.O. Renukoot-231217, District. Sonebhadra, Uttar Pradesh, India
T: +91 5446 252077-79/254791-96 I Fax: +91 5446 252107/252427 I E: hindalco@adityabirla.com I W: www.hindalco.com
Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093
T: +91 22 6691 7000 I Fax: +91 22 6691 7001
Corporate ID No: L27020MH1958PLC011238